ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

सत्येन्द्र कान्त मौर्य (2026). दिव्यांगता एवं शिक्षा. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(5),82-89.

INTERNATIONAL JOURNAL OF
MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS

journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

दिव्यांगता एवं शिक्षा

डॉ० सत्येन्द्र कान्त मौर्य

असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र सर्वोदय पी०जी० कॉलेज, घोसी, मऊ

How to Cite the Article: सत्येन्द्र कान्त मौर्य (2026). दिव्यांगता एवं शिक्षा. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(5),82-89.

https://doi.org/10.56815/ijmrr.v5i5.2026.82-89

Keywords

दिव्यांग, शिक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक, विशिष्ट शिक्षा, नि:शक्तता अधिनियम।

Abstract

किसी व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है। मानव इतिहास के आदिकाल से शिक्षा का विविध तरह से विकास एवं प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्त करने तथा स्वीकृति के लिए और साथ ही साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है।

इसी प्रकार भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद-21 (क) के अन्तर्गत देश के सभी निवासियों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 को ध्यान में रखते हुए 18 वर्ष से कम आयु के सभी दिव्यांग बच्चों को अनिवार्य एवं मुक्तशिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

जनगणना-2011 के अनुसार देश की 45 फीसदी दिव्यांग आबादी अशिक्षित है। दिव्यांगों में जो शिक्षित है, उनमें 59 फीसदी 10वीं पास है, जबकि देश की कुल आबादी का 67 फीसदी 10वीं तक शिक्षित है।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

सत्येन्द्र कान्त मौर्य (2026). दिव्यांगता एवं शिक्षा. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(5),82-89.

प्रस्तावना

दिव्यांगजनों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सुधार में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दिव्यांगता शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर भौतिक एवं मानसिक रूप से पूरी तरह या आंशिक रूप से अविकसित रहता है अथवा दुर्घटना की वजह से पूरी तरह या आंशिक रूप से विकृत हो जाता है। दिव्यांगता की यह सामान्य अवधारणा है। यदि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें तो आज की परिस्थितियां, तेजी से हो रहे विकास शर्ते, घरेलू हिंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व कायम करने की होड़ के कारण हो रहे औद्योगिक दुर्घटनाएँ एवं भीषण युद्ध के परिणाम स्वरूप दिव्यांगता के रूप हम सबके सामने है।

इंटरनेशनल क्लासीफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एण्ड हैण्डीकैप्ड के अनुसार, "व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है, उसे दिव्यांगता कहते है।"

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या 2 करोड़ 68 लाख 14 हजार है। दिव्यांगों में सबसे ज्यादा संख्या चलने-फिरने में लाचार लोगों (54.37 लाख) की है। इसके बाद सुनने में अक्षम (50.73 लाख) और नेत्रहीन लोगों (50.33 लाख) की संख्या है।

शिक्षा किसी भी व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनिवार्य होती है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपना सर्वांगिण विकास कर पाता है। शिक्षा दिव्यांगजनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि सभी दिव्यांगों की विभिन्न प्रकार की शैक्षिक आवश्यकताएँ होती है जैसे, अल्प एवं अति अल्प श्रवण अक्षम, गामक अक्षम, अल्प मानसिक मंदितो तथा अल्प दृष्टि वालों को समेकित शिक्षा की तथा अति गंभीर दिव्यांग बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अलग-अलग दिव्यांगता से पीड़ित लोगों को शिक्षा देने की विधि अलग-अलग होती है जैसे-दृष्टि से सम्बन्धित दिव्यांग लोगों के लिए ब्रेल लिपी, जो लोग सुनने में असमर्थ हो उनके लिए ओष्ठ पठन विधि का उपयोग करके उनके जीवन को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

दिव्यांगजनों के शैक्षणिक अधिकार

दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान किये गये है, जिसे निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है-

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

सत्येन्द्र कान्त मौर्य (2026). दिव्यांगता एवं शिक्षा. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(5),82-89.

(1) अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा। अर्थात् दिव्यांगजनों को किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(2) अनुच्छेद 41 के अनुसार नागरिकों को काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापे अथवा बिमारी में राज्य द्वारा लोक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। अर्थात् दिव्यांगजनों को राज्य द्वारा लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

(3) अनुच्छेद-45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध किया गया है।

संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 (ख) को संविधान में जोड़कर शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि "राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, उसी प्रकार की नीति जैसे राज्य, विधि अनुसार निर्धारित करें, देने की व्यवस्था करेगा।"

दिव्यांगों की शिक्षा के लिए भारत सरकार की पहल

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर शिक्षा में बदलाव हेतु विभिन्न समितियां बनायी गयी, जो वर्तमान सामाजिक परिदृश्य के अनुसार शिक्षा में

बदलाव लाने की रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करती है। सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित रूप में किया गया है-

(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 1986

शिक्षा नीति-1986 के चौथे भाग में दिव्यांगों की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांगों को सामान्य समुदाय में समेकित करना है ताकि उनका सामान्य विकास हो सके।

(2) भारतीय पुर्नवास परिषद- 1992

इसके अन्तर्गत विभिन्न योग्यता वाले निचले स्तर से लेकर शीर्ष तक मानव संसाधन के रूप में व्यावसायिक विकसित करने हेतु कार्य किया जाता है. इसका प्रमुख उद्देश्य दिव्यांगों के जीवन

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

सत्येन्द्र कान्त मौर्य (2026). दिव्यांगता एवं शिक्षा. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(5),82-89.

चक्र की आवश्यकताओं जैसे-शारीरिक चिकित्सा एवं पुर्नवास, शैक्षिक पुनर्वास, व्यवसायिक पुर्नवास तथा सामाजिक पुर्नवास को पूरा करना है।

(3) सर्वशिक्षा अभियान- 2003

इसके अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी तरह के अक्षम बच्चों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(4) निःशक्त जन अधिकार अधिनियम- 1995

इसके अन्तगत सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक दिव्यांग बच्चा 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले उसे उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान किया जायेगा, साथ ही सभी सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त करने वाली संस्थानों में 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगों के लिए कम से कम 3 प्रतिशत सीटे आरक्षित होगी।

(5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2015

इसके अन्तगत शिक्षा व्यवस्था के सभी अंगों में दिव्यांगता को शामिल किया है, चाहे शिक्षा में प्रवेश हो, प्रवेश नीतियाँ हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, पाठ्यक्रम का विकास हो, पठन सामाग्री हो, मूल्यांकन व्यवस्था हो या आभासी शिक्षा का माध्यम हो।

एकीकृत शिक्षा योजना के तहत दिव्यांग बच्चों के शिक्षा, किताबों, परिवहन व उपकरणों के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है। तथा विभिन्न विद्यालयों में दिव्यांगों को शिक्षा देने में सक्षम अध्यापकों की व्यवस्था की गयी है एवं दिव्यांग बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए विविध प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

(6) दिव्यांगता पहचान योजना

दिव्यांगता पहचान योजना (UDID) की शुरूआत 2015-16 में हुयी। पहला UDID 27 जनवरी 2017 में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में बनाया गया तथा मई 2022 तक सभी संघ राज्यों के 715 जिले में लगभग 70 लाख UDID कार्ड बनाये जा चुके है।

(7) सुगम्य भारत अभियान- 2015

इसके तहत यह लक्ष्य रखा गया है कि सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डो, हवाई अड्डो को दिव्यांगों हेतु सुगम बनाया जायेगा तथा 2021 में सुगम्यता से सम्बन्धित समस्याओं की क्राउड

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

सत्येन्द्र कान्त मौर्य (2026). दिव्यांगता एवं शिक्षा. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(5),82-89.

सोर्सिंग के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन सुगम्य भारत ऐप भी तैयार किया गया है जो दिव्यांगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का प्रयास करता है।

(8) निःशक्तता अधिनियम- 2016

दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में शामिल करने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में 3 के वजाय 4 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त दिव्यांगता की 7 के वजाय 21 कटेगरी बढ़ा दी गयी तथा यदि कोई व्यक्ति दिव्यांगों के साथ भेदभाव या तिरस्कार या उपेक्षा करेगा तो उसे 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक कारावास तथा 10 हजार से लेकर 5 लाख रूपये तक जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

दिव्यांगों की शिक्षा के लिए किये गये वैश्विक प्रयास

दिव्यांगों को सामान्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए वैश्विक स्तर पर भी प्रयास किये गये है जिनमें से कुछ निम्नलिखित है-

(1) डकार रूपरेखा कार्यवाही

डकार सेलेगन में अप्रैल 2000 में आयोजित विश्व शिक्षा मंच ने प्रत्येक नागरिक एवं प्रत्येक समाज की शैक्षिक उपलब्धि हेतु लक्ष्यों का निर्धारण कर सभी के लिए शिक्षा के प्रति वचनवद्धता व्यक्त किया सभी के लिए शिक्षा-2000 आकलन प्रदर्शित करता है कि बहुत से देशों में शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक प्रगति की है परन्तु वर्ष 2000 में यह अस्वीकार्य था कि 11.30 करोड़ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुगमता नहीं थी जबकि 88 करोड़ वयस्क अशिक्षित थे, लैंगिक विभेद लगातार शिक्षा को प्रभावित करता है, युवा एवं वयस्क रोजगार के लिए आवश्यक कौशल तथा ज्ञान एवं अपने समाज में पूर्ण भागीदारी से वंचित है। शिक्षा एक बुनियादी मानवाधिकार है, यह देशों के बीच विकास को कायम रखने, शान्ति तथा स्थायित्व का मुख्य बिन्दु है। अतः सभी के लिए शिक्षा को लागू करने की वचनबद्धता तय की गयी जिससे दुर्बल एवं अति पिछडे वर्ग के बच्चों पर ध्यान देना तथा 2015 तक प्रौढ शिक्षा के स्तर में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करना आदि शामिल है।

(2) उप-सहास अफ्रीका

यह 6-10 दिसम्बर, 1999 को जोहान्सवर्ग दक्षिण अफ्रीका में उप-सहास अफ्रीका के लिए "सभी के लिए शिक्षा पर आयोजित परिक्षेत्रीय अधिवेशन से

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

सत्येन्द्र कान्त मौर्य (2026). दिव्यांगता एवं शिक्षा. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(5),82-89.

अपनाया गया है जिसमें आठ बिन्दूओं को सम्मिलित किया जिसमें समानता की नीतियों एवं महिला नामांकन सुनिश्चित करना, विद्यालय में निर्णय लेने एवं अनुशासन में समुदाय की भागीदारी, शिक्षकों को उनके अपने समुदाय में रोजगार देना, सामर्थ्य के अनुसार शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकें निर्धारित करना मातृभाषा को निर्देशन भाषा के लिए उपयोग करना तथा विद्यालयों को सामुदायिक अधिगम केन्द्र के रूप में उपयोग करना प्रमुख है।

(3) इ-9 देशों की घोषणा

दुनिया की 50 फीसदी से अधिक जनसंख्या वाले इ-9 देश-बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एवं पाकिस्तान के शिक्षा मंत्रियों एवं प्रतिनिधियों की बैठक 31 जनवरी से 2 फरवरी 2000 को ब्राजील में सम्पन्न हुयी जिसमें कुछ लक्ष्यों को रखा गया जो निम्न है-

(i) विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाना, जो बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में प्रतिभाग कर सकें।

(ii) शिक्षा हेतु ऑकड़ों को सुदृढ़ करना।

(iii) लिंग साम्यता पर पैनी नजर रखना।

(iv) सभी के लिए शिक्षा में उत्तमता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

शिक्षा से ही व्यक्ति समजा में ससम्मान रह सकता है और अपने व्यक्तित्व को नयी ऊँचाइयाँ प्रदान कर सकता है। लेकिन जहाँ तक दिव्यांगजनों का सवाल है, उनके लिए शिक्षा का मार्ग दुर्गम व कठिनाईयों से भरा है। इस बाधा से भरे मार्ग को पार करने के लिए आवश्यकता है समाज में एक सकारात्मक सोच की और संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर दिव्यांगजनों में उनके जीवन के प्रति उत्साह भरने की तथा विभिन्न सरकारी संस्थाओं व गैर सरकारी संस्थानों को दिव्यांगजनों के शिक्षा स्तर को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता की। एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम दिव्यांगजनों को उनके गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करें तथा शिक्षण, प्रशिक्षण के माध्यम से उनको भी समान अवसर प्रदान करें, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सकें एवं वह समाज के उत्थान में पूर्ण भागीदार बन सकें।

AUTHOR(S) CONTRIBUTION

The writers affirm that they have no connections to, or engagement with, any group or body that provides financial or non-financial assistance for the topics or resources covered in this manuscript.

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

सत्येन्द्र कान्त मौर्य (2026). दिव्यांगता एवं शिक्षा. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(5),82-89.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

PLAGIARISM POLICY

All authors declare that any kind of violation of plagiarism, copyright and ethical matters will take care by all authors. Journal and editors are not liable for aforesaid matters.

SOURCES OF FUNDING

The authors received no financial aid to support for the research.

REFERENCES (संदर्भ ग्रन्थ सूची)

1. जोसेफ, आर०ए०, (2017), निःशक्तता पर संवैधानिक पहल, समाकलन पब्लिशर्स करौंदी, बी०एच०यू०, वाराणसी, पृ० 06.

2. वही, पृ० 219.

3. अरूण नीलू (2013), दिव्यांगता की चुनौतियां, योजना, वर्ष-57, अंक-4, पृ० 33.

4. जोसेफ, आर०ए०, (2004), विशेष शिक्षा एवं पुर्नवास, समाकलन पब्लिशर्स करौंदी, बी०एच०यू०, वाराणसी, पृ० 03.

5. लिनये संध्या, (2018), दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का सूत्र, योजना, वर्ष-62, अंक-08, नई दिल्ली, पृ० 33.

6. जोसेफ, आर०ए०, (2004), विशेष शिक्षा एवं पुर्नवास, समाकलन पब्लिशर्स करौंदी, बी०एच०यू०, वाराणसी, पृ० 17-18.

7. लाल बिहारी रमन एवं कान्त कृष्ण' (2013), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, आर० लाल बुक डिपो, मेरठ.

8. जोसेफ आर०ए०, (2004), विशेष शिक्षा एवं पुर्नवास, समाकलन पब्लिशर्स करौंदी, बी०एच०यू०, वाराणसी, पृ० 296.

9. वही, पृ० 299.

10. जोसेफ आर०ए०, (2013), पुनर्वास के आयाम, समाकलन पब्लिशर्स करौंदी, बी०एच०यू०, वाराणसी, पृ० 390.

11. निःशक्तता अधिकार अधिनियम-1925.

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

सत्येन्द्र कान्त मौर्य (2026). दिव्यांगता एवं शिक्षा. International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews, 5(5),82-89.

12. राव इन्दुमति (2016), दिव्यांगजन शैक्षणिक अधिकार व अवसरों का उन्नयन, योजना, वर्ष-60, पृ० 11, नई दिल्ली.

13. कुमार विरेन्द्र, (2022), दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, योजना, वर्ष-66, अंक-05, पृ0-7, नई दिल्ली.

14. पलनी अप्पन, दीपा, (2020), दिव्यांगजनों के लिए नीतियाँ, योजना, वर्ष-64, अंक-12, पृ० 38, नई दिल्ली.

15. पाठक, अखिलेश, (2016), सुगम्य भारत अभियान निर्वाध वातावरण और सशक्तिकरण की राह, योजना, वर्ष-60, अंक-5, पृ० 28-30, नई दिल्ली.

16. जोसेफ, आर०ए०, (2017), निःशक्तता पर सम्वैधानिक पहल, समाकलन पब्लिशर्स करौंदी, बी०एच०यू०, वाराणसी, पृ० 108-110.

17. वही, पृ० 126-127.

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License